न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 07/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/43

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री जोरजी/ बदिया, निवासी मगरदा, तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
उपस्थित – विभागीय पैरोकार		श्री दिलीप गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय के उचित मुल्य दुकानदार श्री जोरजी/ बदीया द्वारा राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता करने पर तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच करने पर 15.60 क्विं. गेहूँ, उपभोक्तओ को कम दिया जाकर फर्जी ट्रांजेक्शन कर लिया गया तथा गौदाम में 47.47 क्विं. गेहूँ अटेच राशन डीलर महिला स्वयं सहायता समूह मगरदा भाग प्रथम को गेहूँ का स्टॉक हस्तांतरण नही किया जाकर उसके द्वारा गबन कर लिया गया। इस प्रकार कुल 63.07 क्विं. गेहूँ डीलर द्वारा खुर्द बुर्द कर गबन कर लिया गया।

उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर श्री जोरजी/ बदीया, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र 1034/2000 निरस्त किया गया साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय पर 63.07 क्विं. गेहूँ का गबन किया। कुल 63.07 क्विं. गेहूँ की किमत 27 रु प्रति किग्रा की दर से 170289/–रु. बनती है। उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 170289/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.08.2024 को श्री दिलीप कुमार गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में मुख्य रुप से उल्लेख किया कि प्रार्थी मगरदा पाट द्वितीय का डीलर था। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा उसके विरुद्ध प्रकरण संख्या 221/2019 दर्ज किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित कर दिया था। इस मामले मे जांच में गेहूँ का स्टॉक कम पाया गया था। इस सम्बन्ध मे अप्रार्थी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में थाना कुशलगढ में दिनांक 29.11.2019 को जनरल डेली डायरी रेफरेंस दर्ज किया गया था। प्रार्थी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ न्यायालय में मुकदमा नं. 85/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में चल रहा है। वर्तमान में मामला साक्ष्य की स्थिति में है। न्यायालय द्वारा जो भी फैसला किया जावेगा उसके अनुसार प्रार्थी सजा भुगतने को तैयार है श्रीमान् द्वारा प्रार्थी को जो नोटिस दिया गया है डिमांड राशि फैसले के बाद जमा करवा देगा। उक्त डिमांड राशि जब तक उक्त मामले में फैसला ना हो तब तक के लिये रोके जाने का आदेश फरमावे।

दिनांक 10.01.2025 व 12.02.2025 को उभयपक्षकरान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय के उचित मुल्य दुकानदार श्री जोरजी/ बदीया द्वारा राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितता करने पर तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच करने पर 15.60 क्विं. गेहूँ, उपभोक्तओ को कम दिया जाकर फर्जी ट्रांजेक्शन कर लिया गया तथा गौदाम में 47.47 क्विं. गेहूँ अटेच राशन डीलर महिला स्वयं सहायता समूह मगरदा भाग प्रथम को गेहूँ का स्टॉक ह[illegible] द्वारा गबन कर लिया गया। इस प्रकार कुल 63.07 क्विं. गेहूँ डीलर द्वारा खुर्द-बुर्द [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर श्री जोरजी/ बदीया, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र 1034/2000 निरस्त किया गया साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सज्जनगढ में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय पर 63.07 क्विं. गेहूँ का गबन किया। कुल 63.07 क्विं. गेहूँ की किमत 27 रु प्रति किग्रा की दर से 170289/–रु. बनती है। उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी मगरदा पाट द्वितीय का डीलर था। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा उसके विरुद्ध प्रकरण संख्या 221/2019 दर्ज किया जाकर उसका प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित कर दिया था। इस मामले मे जांच में गेहूँ का स्टॉक कम पाया गया था। इस सम्बन्ध मे अप्रार्थी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में थाना कुशलगढ में दिनांक 29.11.2019 को जनरल डेली डायरी रेफरेंस दर्ज किया गया था। प्रार्थी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ न्यायालय में मुकदमा नं. 85/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में चल रहा है। वर्तमान में मामला साक्ष्य की स्थिति में है। न्यायालय द्वारा जो भी फैसला किया जावेगा उसके अनुसार अप्रार्थी सजा भुगतने को तैयार है श्रीमान् द्वारा अप्रार्थी को जो नोटिस दिया गया है डिमांड राशि फैसले के बाद जमा करवा देगा। उक्त डिमांड राशि जब तक उक्त मामले में फैसला ना हो तब तक के लिये रोके जाने का आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि श्री जोरजी/ बदीया, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय द्वारा उपभोक्ताओ को राष्ट्रीय खाध सुरक्षा योजनान्तर्गत 15.60 क्विं गेहूँ कम दिया जाकर एवं 47.47 क्विं. गेहूँ स्टॉक में कम पाये जाने से कुल 63.07 क्विं. गेहूँ खुर्द बुर्द कर गबन किया जाना पाया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या [illegible] का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना सज्जनगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1034/2000 निरस्त किया गया है। डीलर द्वारा कुल 63.07 क्विं. गेहूँ खुर्द बुर्द कर गबन किया पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार गबनशुदा 63.07 क्विं. गेहु, की राशि विभाग अनुसार 170289/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री जोरजी/ बदीया, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत मगरदा भाग द्वितीय से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 63.07 क्विं. गेहु की राशि विभाग अनुसार 170289/– रु अक्षरे रुपया एक लाख सत्तर हजार दो सौ नवासी की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner